

Hindu Kanya Mahavidyalaya, Jind

Affiliated to Chaudhary Ranbir Singh University, Jind

NAAC Accredited 'B'

ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 Certified



Estd. in 1970



2025-26

Prospectus

Ph. : 74960-56263

www.hkmvjind.com

Email id : hkmvjind@gmail.com

Facebook id : www.facebook.com/HKMVJind

कुलगीत

शुभ्रकांति, विभूतिमय, विद्यारविंद, सतोगुणी ।
हिन्दू कन्या महाविद्यालय है सर्व शिरोमणि ।

सभ्यता, संस्कार, संस्कृति का है आदि स्तम्भ ये ।
ज्ञान ही मेधा का आभूषण यहां प्रारम्भ से ।
आत्मजा के मान और दीक्षा का है आलम्ब ये ।
श्रीप्रदा-चरणों का करता आचमन नित यह मुनि ।
हिन्दू कन्या महाविद्यालय है सर्व शिरोमणि ।

कुश, कुसुम, कलरव औ' किसलय का कलित निर्मल निलय ।
कला और विज्ञान, वाणिज्यादि का अद्भुत विलय ।
पाक की सौधी महक और नृत्य, गीत की मधुर लय ।
वसुन्धरा से व्योम तक के ज्ञान की यहां प्रतिध्वनि ।
हिन्दू कन्या महाविद्यालय है सर्व शिरोमणि ।

साध, साधन, साध्य और साधक यहीं करते भ्रमण ।
उत्कर्ष इसका शीर्ष है, संवेदना इसके चरण ।
व्याकुल पिपासा ज्ञान की पाये सुधा और चिर शरण ।
दे सिद्धि और प्रसिद्धि, हम वरदा बनें, नारायणी ।
हिन्दू कन्या महाविद्यालय है सर्व शिरोमणि ।

है नमन इसके कर्म को । है नमन इसके धर्म को ।
करें 'अंजलि' भर पुष्प अर्पण विद्या के देवालय को ।
है नमन शिक्षाकुंज हिन्दू कन्या महाविद्यालय को ।

शब्द-रचना :

**अंजलि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द ।**

संदेश



डॉ. अंशुल सिंगला

(अध्यक्ष, हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द)

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारी संस्था का उद्देश्य न केवल आपको शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि आपको एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। हमारा विश्वास है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह आपके चरित्र निर्माण और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली होनी चाहिए।

हमारी संस्था में, हम आपको विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपको खेल, कला और संस्कृति में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं। हमारा उद्देश्य आपको एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें।

हमें विश्वास है कि आप हमारी संस्था की इस यात्रा में हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें आपकी सफलता पर गर्व होगा और हम आपकी प्रगति में हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हिन्दू कन्या महाविद्यालय में अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।

धन्यवाद !

संदेश



डॉ. पूनम मोर

(प्राचार्या, हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द)

हिन्दू कन्या महाविद्यालय में, हम हिंदू धर्म के शाश्वत सिद्धांत ज्ञान, बुद्धिमत्ता और चरित्र निर्माण के महत्व पर जोर देते हैं। हमारी संस्था युवा महिलाओं को ना केवल करुणा, सत्यनिष्ठा और आत्म-अनुशासन के मूल्यों से सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ को भी बढ़ावा देती है। हम एक पोषित वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जो बौद्धिक जिज्ञासा, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, जिससे हमारी छात्राएँ आत्मविश्वासी, करुणामयी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बन सकें।

हमारी शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से, हम अपनी छात्राओं में लक्ष्य प्राप्ति, जिम्मेदारी और समाज के हित में योगदान करने की भावना पैदा करते हैं। जब वे अपने सफर पर निकलें, हम आशा करते हैं कि हमारी छात्राएँ जीवन मूल्यों को अपने साथ ले जाएंगी व अपने समाज के लिए प्रकाश का स्रोत बनेंगी।

धन्यवाद !

Index

(विषयानुक्रमणिका)

1.	College - Introduction & Family (महाविद्यालय - परिचय एवं परिवार)	2
2.	Committees and Cells (समितियाँ एवं प्रकोष्ठ)	4
3.	Training Programmes and Courses (प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम)	5
4.	Scholarships & Stipends (छात्रवृत्तियाँ एवं शैक्षिक अनुदान)	6
5.	Examination & College Withdrawl (परीक्षा एवं कॉलेज विनिवृत्ति)	8
6.	Leave Rules (अवकाश संबंधी नियम)	8
7.	Fine (जुर्माना)	8
8.	Mentorship and Tutorials (मार्गदर्शन व प्रशिक्षण सत्र)	9
9.	Excellence in Performance Awards (उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार)	9
10.	Library Rules (पुस्तकालय संबंधी नियम)	10
11.	Leave Application Form (छुट्टी आवेदन पत्र)	
12.	Admission Form for Add-On-Courses (एड-ऑन-कोर्स में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र)	
13.	Mentor's Form (मेंटर फार्म)	

हिन्दू कन्या महाविद्यालय

सन् 1970 में स्थापित यह महाविद्यालय आज अपनी गतिविधियों एवं उपलब्धिपूर्ण जीवन के आधार पर अपने 54 वर्ष पार कर 55वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जोकि आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता की आपूर्ति एवं उनके सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है।

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द से मान्यता प्राप्त इस महाविद्यालय में **Arts** (कला संकाय), **Commerce** (वाणिज्य संकाय) एवं **Science** (विज्ञान संकाय) के अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही श्रेणियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

शहर के मध्य स्थित यह महाविद्यालय शहरी छात्राओं के साथ-साथ आस पास के ग्रामीण आंचल से संबंधित छात्राओं के लिए शिक्षा का सतत स्रोत है। इसका सौन्दर्य से परिपूर्ण हरा-भरा विशाल प्रांगण, सुशिक्षित प्राध्यापिका वर्ग, सुरक्षित वातावरण प्रारंभ से ही इस महाविद्यालय के आकर्षक केन्द्र रहे हैं।

महाविद्यालय एवं समस्त स्टॉफ सदस्य छात्राओं को अधिकाधिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। महाविद्यालय में सम्पूर्ण तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित भव्य पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम, विशाल ऑडिटोरियम, सेमिनार हाल इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त चाइल्ड केयर सेंटर, कैंटीन, जिम एवं कॉमन रूम जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। यहाँ रेड क्रॉस, एन.सी.सी., एन.एस.एस., बुक बैंक एवं सहयोग संस्कारशाला जैसी अनेक समितियाँ जोकि छात्राओं के सहयोग एवं विकास के लिए निरन्तर कार्य करती हैं। ये समितियाँ छात्राओं को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने और अपने कौशल को विकसित करने के अवसर भी प्रदान करती हैं।

महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं को न केवल शिक्षा प्रदान करना है बल्कि उन्हें एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना भी है। महाविद्यालय के इस दिशा में अनवरत प्रयास छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित हैं।

NEP 2020 के तहत महाविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं :-

1. स्किल एनहांसमेंट कोर्स
2. वेल्यू एडिड कोर्स
3. फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स
4. सूचना तथा तकनीकी कार्यक्रम

इन कोर्स का उद्देश्य छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है।

HKMV Family

Principal - Dr. Punam Mor (M.A. Hindi, M.Phil, Ph.D, SLET)

Teaching Staff

1.	Dr. (Mrs.) Upasna Garg M.Com., Ph.D, NET	-	Department of Commerce
2.	Dr. (Mrs.) Sushma Hooda M.Com., M.Ed., M.Phil, Ph.D	-	Department of Commerce
3.	Mrs. Rekha Saini M.Com., SLET	-	Department of Commerce
4.	Dr. (Mrs.) Geeta Gupta M.A., M.Phil, Ph.D, NET (JRF)	-	Department of English
5.	Mrs. Anjali Gupta M.A., SLET	-	Department of English
6.	Mrs. Neelam B.A. (Hons.), B.Ed., M.A., M.Phil (Gold Medalist), SLET, NET	-	Department of Political Science
7.	Mrs. Anju M.Sc., M.Phil, NET (JRF)	-	Department of Mathematics
8.	Dr. (Mrs.) Keauty Diploma in Reasoning, PGDCA, M.A., M.Phil (Gold Medalist), Ph.D, SLET, NET	-	Department of Music (V)
9.	Dr. (Mrs.) Neelam Rani M.A., Ph.D, NET	-	Department of Sanskrit
10.	Dr. (Mrs.) Sushma Garg B.Ed., M.A., M.Phil, Ph.D, STET, NET	-	Department of Hindi
11.	Dr. (Mrs.) Pinki M.A. English, M.Lib., M.Phil, Ph.D	-	Librarian
12.	Mrs. Kranti M.A. (Gold Medalist), M.Phil, NET (JRF)	-	Department of Political Science
13.	Dr. Priyanka Sahni M.A., M.Phil, Ph.D, NET	-	Department of Economics
14.	Dr. (Mrs.) Rashmi B.Ed., M.A., Ph.D	-	Department of History
15.	Dr. (Mrs.) Anshu Sailpar M.A., M.Phil, Ph.D, NET	-	Department of English
16.	Dr. (Mrs.) Seema M.A., M.Phil, Ph.D, NET	-	Department of English
17.	Mrs. Arti Saini M.A., NET	-	Department of Music (I)

Non-Teaching Staff

1.	Mr. Parveen	-	Tabla Player
2.	Mrs. Raman	-	Tabla Player
3.	Mr. Yashpal	-	Clerk
4.	Mr. Jasbir Kajal	-	Clerk

Committees & Cells

1. National Cadet Corps (NCC)
2. National Service Scheme (NSS)
3. Women Cell
4. Legal Literacy Cell
5. Youth Red Cross Cell (YRCC)
6. Career Counselling & Placement Cell & Personal Counselling Cell
7. Entrepreneurship Development Cell
8. Red Ribbon Club & Drug Awareness Cell
9. Students Welfare, Advisory & Grievances Redressal Committee
10. Cultural Affairs/Youth Welfare Committee
11. Time Table Committee
12. Internal Quality Assurance Cell
13. Anti Ragging Cell & Internal Complaints & Personal Counselling Cell
14. Electoral Literacy Club
15. Alumni Association & Student's Progression Committee
16. Road Safety Club
17. Eco and Energy Conservation Club
18. Magazine Committee
19. SC/ST/BC Affairs & Scholarship Committee
20. IPR Cell
21. Sahyog & Sukarma Society
22. Research & Development Cell
23. Library Advisory Committee
24. VAC Committee
25. Canteen Committee
26. RTI Cell
27. Internship Committee

Academic Programmes

Multidisciplinary UG Programs

Bachelor
of
Arts

Bachelor
of
Physical
Sciences

Subjects Offered :

- ➔ Economics
- ➔ History
- ➔ English
- ➔ Hindi
- ➔ Sanskrit
- ➔ Geography
- ➔ Home Science
- ➔ Sociology
- ➔ Public Administration
- ➔ Music (V)
- ➔ Music (I)
- ➔ Political Science
- ➔ Physical Education
- ➔ Mathematics
- ➔ Computer Science

Subjects Offered :

- ➔ Physics
- ➔ Chemistry
- ➔ Mathematics
- ➔ Computer Science
- ➔ Geography

UG Single Major Programs

B.A. Mathematics
(Hons.)

Interdisciplinary Programs

Bachelor
of
Commerce
(General)

Bachelor
of
Computer
Applications

Bachelor
of
Commerce
(Hons.)

Post Graduate Programs

M.A.
History

M.Com.

M.Sc.
Mathematics

Scholarships & Stipends

इस कॉलेज के विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से सरकारी वजीफे तथा स्थानीय महानुभावों की ओर से दिये गये वजीफे उपलब्ध हैं :-

1. अनुसूचित-जातियों व जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ :- ये छात्रवृत्तियाँ हरियाणा की अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती हैं :-
 - (क) अनुसूचित जाति/जनजाति से होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
 - (ख) माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र।
 - (ग) माता-पिता की आय 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
 - (घ) सरकारी नौकरी करने वालों के लिए डी.डी.ओ. की ओर से आय का प्रमाण-पत्र जरूरी देना है। प्राइवेट सर्विस करने वालों के लिए एस.डी.एम. की ओर से आय का प्रमाण-पत्र जरूरी है। छात्रा का परिवार पहचान-पत्र भी आवश्यक है।
 - (ङ) दाखिला जीरो बैलेंस पर किया जाएगा। बाद में छात्रवृत्ति की राशि छात्रा के खाते में जमा की जाएगी, जिसमें से छात्रा कॉलेज की फीस वापिस जमा करवाएगी।
 - (च) फार्म Online भरे जाते हैं।
2. पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ :- ये छात्रवृत्तियाँ हरियाणा सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले को निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती हैं -
 - (क) पिछड़े वर्ग का नाम, हरियाणा वासी होने का प्रमाण-पत्र तथा परिवार पहचान-पत्र भी अनिवार्य है।
 - (ख) माता-पिता की आय सीमा 1,00,000/- रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (ग) सरकारी कर्मचारी होने पर आय प्रमाण-पत्र डी.डी.ओ. से और प्राइवेट सर्विस से एस.डी.एम. से लेना आवश्यक है।
 - (घ) जिनके माता-पिता या अभिभावक कृषि का कार्य करते हैं, वे गाँव के सरपंच से भी आय का प्रमाण-पत्र लेकर दे सकते हैं।
 - (ङ) वे विद्यार्थी जिनकी पिछली कक्षा में कम्पार्टमेंट आई हो, वे इस वजीफे के पात्र नहीं होंगे। सितम्बर में कम्पार्टमेंट उत्तीर्ण कर लेने पर वह फिर से छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।
3. **Lower Income Group Scholarships (Haryana State)** - हरियाणा सरकार द्वारा निर्धन छात्रों को सभी कक्षाओं में यह छात्रवृत्तियाँ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति परिवर्तित नियमों द्वारा देय होगी :
 - (क) छात्र हरियाणा का रहने वाला हो, उसका प्रमाण-पत्र दें।
 - (ख) माता-पिता की आय 1,00,000/- रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. **D.S.D. & Army Board Scholarships** -
 - (क) यह छात्रवृत्ति भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध है।
 - (ख) छात्र के अंक कम से कम 50% होने आवश्यक हैं।
5. **Scholarships for Physically Handicapped Students** -
 - (क) विकलांग छात्रा को विकलांग होने का जिला के C.M.O. का प्रमाण-पत्र देना होगा।
 - (ख) माता-पिता की आय सभी साधनों से 1,00,000/- रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय का प्रमाण-पत्र देना होगा।
6. **National Scholarships** -
 - (क) यह छात्रवृत्ति मैट्रिक तथा 10+2 परीक्षा के आधार पर निर्धारित होती है।
 - (ख) छात्र के अंक मैट्रिक में 75% से कम न हों।
 - (ग) जो विद्यार्थी मैट्रिक या 10+2 परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है। उसे अगली कक्षा में भी यह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। बशर्ते वह प्रत्येक कक्षा में 50% अंक लेता रहे, इस तरह के पात्र विद्यार्थी अपनी Progress Report भरकर तथा प्रमाणित अंक-सूचि साथ लगाकर कार्यालय में नियत समय तक अवश्य जमा करवा दें।

7. State Merit Scholarship -

- (क) हरियाणा का निवासी छात्र इसका अधिकारी है।
 - (ख) छात्र के अंक 60% से कम न हो।
 - (ग) जो विद्यार्थी मैट्रिक या 10+2 परीक्षा के आधार पर राज्य योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है। उसे अगली कक्षा में भी यह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। बशर्ते वह प्रत्येक कक्षा में 50% अंक लेता रहे, इस तरह के पात्र विद्यार्थी अपनी Progress Report भरकर तथा प्रमाणित अंक-सूचि साथ लगाकर कार्यालय में नियत समय तक अवश्य जमा करवा दें।
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए 10वीं के बाद छात्रवृत्ति :- यह स्कीम भारत सरकार द्वारा उन एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चालू की गई है जो कि 10वीं के बाद शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत उन विद्यार्थियों जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख या इससे कम हैं, को 300/- रुपये तक प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
9. पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की भलाई के लिए 10वीं के पश्चात् छात्रवृत्ति :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले पिछड़ी जाति के तहत ऐसे पिछड़े वर्ग विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये हो, को स्टाईपण्ड, ट्यूशन और परीक्षा फीस का भुगतान किया जाता है। इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
10. हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्तियाँ (कोई आय सीमा नहीं) :- इस स्कीम के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के 10+2 के मैरिट परिणाम के आधार पर 500 विद्यार्थियों को रुपये 3600/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। सम्बन्धित संस्था के द्वारा योग्य छात्रों के फार्म निदेशालय को भेजे जाते हैं और इसी स्कीम के तहत बी.ए. III/बी.कॉम. III/बी.एस.सी. III/एम.ए./बी.एड./एम.एस.सी. II/एम.कॉम. II/सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिणाम के आधार पर 205 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
11. अल्प आय वर्ग हेतु छात्रवृत्ति योजना :- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज के उन अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता पहुँचाना है जो कि सरकार की वित्तीय मदद के बिना अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये हो, वे इस योजना के अर्न्तगत आते हैं।

विशेष नोट :-

1. विद्यार्थी को केवल एक ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
2. सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी अपनी आय का प्रमाण-पत्र विवरण सहित जिसमें उस वर्ष का मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा मकान किराया भत्ता बिना किसी कटौती के ही हो का प्रमाण-पत्र अपने विभाग से लेकर देंगे।
3. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर परिवर्तित नियमों द्वारा देय होगी।
4. करता राम मोदी मैमोरियल ट्रस्ट (रजि.), जीन्द के चेयरमैन : डॉ. सतीश गुप्ता सुपुत्र श्री रामेश्वरदास गुप्ता द्वारा (विद्या देवी मैमोरियल छात्रवृत्ति) B.A. I, B.A. II, B.Com. I, B.Com. II, B.Sc. I और B.Sc. II कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1100/- रुपये की राशि तथा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।
5. स्वर्गीय श्रीमती हरशरणजीत कौर, प्राध्यापिका संस्कृत, के पति द्वारा उनकी याद में संचालित हरशरणजीत कौर मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा बी.ए. प्रथम और द्वितीय वर्ष में संस्कृत विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष 2500/- वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
बी.ए. तृतीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को पदक प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बी.ए. प्रथम और द्वितीय वर्ष की उन दो गरीब छात्राओं को पूरे वर्ष की फीस माफ की जायेगी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हों।
(क) 10+2/B.A.I में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हों।
(ख) 10+2/B.A.I में संस्कृत विषय में भी अच्छे अंक प्राप्त किये हों।
(ग) B.A.I में संस्कृत विषय लिया हो।
6. स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बाबा लालसिंह की स्मृति में हिन्दी में प्रथम और द्वितीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की शर्तें

अपनी श्रेणी के परीक्षा विषयों में पूर्ण व्याख्यानों में से 75 प्रतिशत की उपस्थिति होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। व्याख्यानों की संख्या परीक्षा तैयारी अवकाश (Preparatory Holidays) के आरम्भ होने तक गिनी जाएगी। यदि 6 दिन तक छात्रा कक्षा में नहीं आएगी तो उसका नाम काट दिया जाएगा।

सभी छात्राओं के लिए गृह परीक्षा में बैठना और विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है क्योंकि इसी आधार पर उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। छात्रा को 10 अंक प्रदत्त असाइनमेंट के होंगे, 5 अंक कक्षा में उपस्थिति के लिए तथा 5 अंक टेस्ट के लिए नियत है। जिन छात्राओं के Medical Certificate के बाद प्राचार्या ने परीक्षा की अनुमति दे दी हो उनका ही Test दोबारा लिया जाएगा।

विनिवृत्ति (Withdrawl)

जो छात्रा महाविद्यालय छोड़ना चाहती है उसे आवेदन पत्र देना होगा और यह सब उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signed) होना चाहिए, कॉलिज को जो भी देय होगा उसका भुगतान होने पर ही विनिवृत्ति प्रमाण-पत्र (College Leaving Certificate) दिया जाएगा।

अवकाश सम्बन्धी नियम

जो विद्यार्थी छुट्टी लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिये :-

1. अवकाश पर जाने से पहले निर्धारित फार्म पर आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र की प्रति महाविद्यालय की Website पर उपलब्ध है।
 2. ग्रुप ट्यूटर चार दिन तक की और सीनियर ट्यूटर सात दिन तक की छुट्टी प्रदान कर सकता है। इससे अधिक अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य द्वारा दी जायेगी।
 3. एक या दो पीरियड की छुट्टी सम्बन्धित प्राध्यापिका द्वारा दी जायेगी।
 4. चार दिन से अधिक बीमारी की छुट्टी केवल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत की जा सकती है।
 5. स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया होना चाहिए।
- नोट - महाविद्यालय में सूचित किए बिना लगातार 7 कार्यदिवस तक अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का नाम काट दिया जायेगा, भले ही उसने अपनी फीस आदि जमा करवा रखी हो।
- नोट - नाम कटने के एक सप्ताह के अन्तराल में छात्रा पुनः दाखिले के लिए फीस दे सकती है। यदि एक सप्ताह तक वह पुनः दाखिला नहीं लेती तो उसका नाम स्थायी रूप से काट दिया जाएगा।

जुर्माना (Fine)

1. फीस समय पर न देना : फीस की अदायगी प्राचार्या द्वारा नियमित महीनों की तिथियों के अनुसार करनी होगी, अन्यथा प्रतिदिन दस रुपये की दर से जुर्माना किया जाएगा। जो विद्यार्थी निश्चित महीने के आखिरी दिन तक फीस तथा जुर्माना जमा नहीं करवाते उनका नाम काट दिया जाता है। नाम कटने और पुनः प्रवेश के बीच के अन्तराल में दिए गए व्याख्यानों की कमी का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।

2. अनुशासन भंग करना/दुर्व्यवहार करना : महाविद्यालय का अनुशासन भंग करने एवं प्राध्यापिका वर्ग और महाविद्यालय के अन्य कर्मचारी वर्ग के प्रति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करने वाली छात्राओं को दंड दिया जाएगा।
3. कॉलेज की सम्पत्ति को हानि पहुँचाना : कॉलेज की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने वाली छात्रा को दंड दिया जाएगा। जुर्माना राशि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के अनुसार तय की जाएगी।
4. महाविद्यालय में शिक्षा एवं महाविद्यालय संबंधी अतिरिक्त गतिविधियों से अलग मोबाईल का प्रयोग करना वर्जित है, जोकि दण्डनीय होगा।
5. महाविद्यालय पहचान-पत्र के बिना महाविद्यालय में छात्राओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पहचान-पत्र के ना पाए जाने पर छात्रा को जुर्माना भी किया जा सकता है।
6. प्रशासनिक कार्यालय तथा तथा कक्षाओं के बाहर शोर करने वाली छात्राओं को दण्डित किया जा सकता है।
7. छात्रा को अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर खड़ा करना अनिवार्य है।
8. छात्राओं का कर्तव्य है कि वे महाविद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ रखें व फूल न तोड़ें। फूल तोड़ने व गंदगी फैलाने वाली छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यावाही के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।
9. किसी भी प्रकार की नशीली व बुरी आदतों में संलिप्त छात्राओं को तुरन्त प्रभाव से महाविद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

Mentorship & Tutorials

महाविद्यालय में मेंटरशिप और ट्यूटोरियल संबंधित नियम और विनयमों का उद्देश्य छात्राओं को व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास में सहायता प्रदान करता है। मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत, अनुभवी फैकल्टी मेंटर छात्राओं को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ट्यूटोरियल सत्रों के माध्यम से, छात्राओं को विषय की गहराई से समझ मिलती है और वे अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं को न केवल शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सफल होने के लिए तैयार करना है। इससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार सम्मान पात्रता

यह सम्मान शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद के क्षेत्र में गतिविधियों में विजेता पद प्राप्त छात्राओं को दिया जाता है।

खेल-कूद

महाविद्यालय में फेन्सिंग, कबड्डी, हैंडबाल, बेसबाल, सॉफ्ट बॉल, खो-खो, लोन टेनिस, नेट बॉल, फुटबाल, बास्केट बॉल, हॉकी, किक बॉक्सिंग इत्यादि खेलों के लिए सुविधाएँ व प्रशिक्षण दिया जाता है।

महाविद्यालय में आधुनिक मशीनों से युक्त **Gym** की व्यवस्था भी है। योग प्रशिक्षण भी छात्राओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त छात्राओं को दाखिले में फीस माफी का प्रावधान भी है।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में सम्पूर्ण तकनीकी सुविधाओं से सम्पन्न विशाल पुस्तकालय है, जिसमें विषय से संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त हर प्रकार की ज्ञान वर्धक पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के नियम -

1. निम्नलिखित वर्ग को पुस्तकालय से पुस्तक लेने का अधिकार है -
(क) कॉलेज की प्राध्यापिका मण्डल (ख) कॉलेज की छात्राएँ (ग) कॉलेज के अन्य कर्मचारी।
2. छात्राएँ 14 दिन तक पुस्तकें रख सकती हैं। लम्बे अवकाश से पहले सभी पुस्तकें लौटा देनी होंगी।
3. छात्राओं की पुस्तकें वापिस करने में विलम्ब होने पर 1/- रुपये प्रतिदिन प्रति पुस्तक के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
4. प्रत्येक छात्रा पुस्तकालय से ली गई पुस्तक की स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होगी। यदि पुस्तक लेते समय किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई दे तो उसी समय पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखा दें।
5. पुस्तक की किसी प्रकार की हानि होने पर सम्बन्धित छात्रा को उस पुस्तक की क्षतिपूर्ति करनी होगी। पुस्तक के खो जाने पर उसकी कीमत जमा करवानी होगी।
6. स्नातक बी.ए. की छात्राओं को अधिक से अधिक 2 पुस्तकें एक समय में और एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम. की छात्राओं को अधिकतम 4 पुस्तकें मिल सकती हैं।
7. पत्रिकाओं के वर्तमान अंक (**Current Issue**) तथा समाचार पत्र पुस्तकालय से बाहर नहीं जा सकते।
8. पुस्तकें संदर्भ ग्रंथ कोष आदि प्रिंसिपल की अनुमति के बिना महाविद्यालय से नहीं ली जा सकती।
9. दाखिले के समय जमा करवायी गई **Refundable Security** कॉलेज छोड़ने के एक साल के अन्दर 31 मार्च तक ही वापिस की जाएगी, उसके बाद नहीं।
10. पुस्तकालय में पूर्ण शांति रखना आवश्यक है जिससे पढ़ने वालों के ध्यान में विघ्न न पड़े। पुस्तकों और समाचार-पत्रों पर निशानी नहीं लगाई जानी चाहिए और न ही उनमें से कोई पृष्ठ फाड़ना चाहिए। ऐसा करने वाले दण्डनीय होंगे।
11. निर्धन छात्राओं की सुविधा के लिए बुक-बैंक की स्थापना की गई है। इस बुक-बैंक से छात्राएँ पाठ्य-पुस्तकें लेकर वर्षभर अध्ययन कर सकती हैं।
12. महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को यह पत्रक (**I-Card**) दिया जाता है। यह लाइब्ररियन, ट्यूटर तथा प्राचार्या द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह पत्रक विद्यार्थी के पास सदैव रहना चाहिए। पुस्तकालय से जो पुस्तकें लेनी हों अथवा जमा करवानी हों पुस्तकालय अधिकारी को यह पत्रक देकर प्रविष्टि अवश्य करा लेनी चाहिए। यह पत्रक किसी दूसरे विद्यार्थी को नहीं दिया जा सकता। विद्यार्थी इस पत्रक की सुरक्षा तथा उसमें दर्ज पुस्तकों के लिए खुद उत्तरदायी होगा। लापरवाही से पत्रक गुम होने पर उसे पुनः जारी करना प्राचार्या के विवेकाधीन होगा और उसके लिए विद्यार्थी को कार्यालय में 100/- रुपये जमा करवाने होंगे।

कॉलेज पत्रिका “ज्ञान स्तम्भ”

महाविद्यालय पत्रिका वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। इसके सम्पादन मण्डल में प्राध्यापिकाएँ और छात्राएँ होती हैं। पत्रिकाओं में बहुतांश छात्राओं की रचनाएँ होती हैं। इस प्रकार पत्रिका के द्वारा छात्राएँ हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी के माध्यम से आत्मभिव्यक्ति कर सकती हैं। पत्रिका पुस्तकालय से ही प्राप्त होगी।

Leave Application Form

To

The Principal,
H.K.M.V.,
Jind

Name :

Class :

Roll No. :

Date of Leave : From to

No. of Days :

Reason of Leave :

Signature of Parents/Guardians

Signature of Student

Signature of Tutor/Chief Tutor

Signature of Subject Concerned Lecturers

S.No. Subject

Signature

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

6.

.....

ADMISSION FORM FOR ADD ON COURSES
HINDU KANYA MAHAVIDYALAYA, JIND

Admission Form Add on Course (Under UGC Scheme)

Name of course Certificate/Diploma

Roll No. of course

Class in which studying Roll No.

Name

Father's Name

Date of Birth

Address

Phone No. E-mail

Particular of Last Examination :

Name of Class	University/Board	Year of Passing	Roll No.	Marks Obtained	Subject

Subjects in B.A.

Signature of Student

Signature of Father

For Office Use Only

Eligibility checked & allowed for admission

Convenor

Principal

Received Rs. Vide Receipt No. Dated

Hindu Kanya Mahavidyalaya, Jind

MENTORSHIP FORM

Student's
Passport Size
Photo

Group No.

Session : 20 - 20

1. Student's Name
2. Roll No.
3. Class
4. University Regn. No.
5. Date of Birth
6. Aadhar No.
7. Voter's Card No.
8. Blood Group
9. Category
10. Mobile No.
11. Marital Status
Husband's Name Occupation Mobile No.
12. Medical History
13. Mode of Transport Vehicle Token No.
Vehicle No. Driving License No.
14. Address
.....
15. Email ID
17. Subject Offered i) ii)
 iii) iv)
 v) vi)
18. NCC/NSS/Sports/Cultural etc
19. Achievements
20. Interest/Hobbies
21. Aim of life
22. Your Strengths (Merits)
23. Weaknesses
24. Father's Name
Occupation Mobile No.
25. Mother's Name
Occupation Mobile No.
26. Brother's Name Qualification Mobile No.
Brother's Name Qualification Mobile No.
Brother's Name Qualification Mobile No.

27. Sister's Name Qualification Mobile No.
 Sister's Name Qualification Mobile No.
 Sister's Name Qualification Mobile No.

28. Friend's Name
 Class Roll No. Mobile No.
 Friend's Name
 Class Roll No. Mobile No.

29. Educational Qualification :-

Class	Roll No.	Year	Board/University	Max. Marks	Marks%
Matric					
10+2					
T.D.C. I - Sem. I					
- Sem. II					
T.D.C. II - Sem. III					
- Sem. IV					
T.D.C. III - Sem. V					
- Sem. VI					
P.G. (Previous) - Sem. I					
- Sem. II					

30. Time Table :-

Period	Subject	Room No.	Name of Lecturer
1st			
2nd			
3rd			
4th			
5th			
6th			
7th			
8th			
9th			

Mentor's Name :

Mentor's Signature

Student's Signature

छात्राओं के लिए आचार संहिता

1. महाविद्यालय का आरम्भ प्रतिदिन सुबह प्रार्थना से होगा तथा 12:00 बजे तक किसी भी छात्रा को महाविद्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. छात्राओं से आशा की जाती है कि वे प्राध्यापिकाओं के मिलने पर उन्हें विधिवत प्रणाम करें एवं आदरपूर्वक व्यवहार करें।
3. महाविद्यालय में दाखिला लेने के बाद छात्राओं को पहचान-पत्र दिया जाएगा। पहचान-पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालय प्रांगण में बिना पहचान-पत्र के पाई जाने वाली छात्राओं को जुर्माना किया जाएगा।
4. महाविद्यालय में समय-समय पर छात्राओं को प्राचार्या महोदया के आदेशों एवं निर्देशों से अवगत करवाने के लिए उचित स्थानों पर सूचना पट्ट लगे हुए हैं। प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है कि ऐसी सभी सूचनाओं की जानकारी स्वयं प्राप्त करें।
5. प्रत्येक छात्रा से आशा की जाती है कि वह जलपान गृह, पुस्तकालय, कक्षा तथा महाविद्यालय के प्रत्येक समारोह में अनुशासन से रहें तथा कक्षा में देर से न आएँ।
6. प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का समुचित सम्मान करे।
7. छात्रा यदि किसी भी कारण से किसी से झगड़ा करेगी तो उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
8. छात्राओं को चाहिए कि वे खाली समय में पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें। बरामदों में व्यर्थ घूमना या बातचीत करना अवांछनीय है।
9. प्राचार्या के कार्यालय तथा कक्षाओं के बाहर शोर करने वाली छात्राओं को दण्डित किया जाएगा।
10. महाविद्यालय की दीवारों, फर्नीचर या ब्लैकबोर्ड पर कुछ भी लिखना अपराध है।
11. साईकिल/स्कूटर पार्किंग शैड में रखें। साईकिल/स्कूटर चोरी होने पर या क्षतिग्रस्त होने पर वे स्वयं जिम्मेवार होंगी।
12. महाविद्यालय में प्रवेश करने व बाहर जाने के लिए जो द्वार एवं सड़क है उनका ही प्रयोग करें। लॉन एवं फूलों की क्यारियों के बीच से जाना मना है।
13. छात्राओं का कर्तव्य है कि वे महाविद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ रखें व फूल न तोड़ें। फूल तोड़ने व गंदगी फैलाने वाली छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यावाही की जाएगी व जुर्माना भी किया जाएगा।
14. यदि कोई छात्रा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे आन्दोलन में भाग लेगी अथवा महाविद्यालय की किसी अन्य छात्रा को किसी ऐसे कार्य में सम्मिलित होने के लिए उकसाएगी जो प्राचार्या की दृष्टि से महाविद्यालय के अनुशासन के विरुद्ध हो तो उसे प्राचार्या द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
15. छात्राओं से आशा की जाती है कि वे शालीनता से एवं सादे परिधान में महाविद्यालय आएँ।
16. एल्कोहल (शराब), तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट एवं नशीले पदार्थ महाविद्यालय परिसर में लाना वर्जित है।
17. रैगिंग करना दण्डनीय अपराध है।
18. जेवर, नकदी या अन्य कोई कीमती सामान महाविद्यालय में ना लाएँ। इसके गुम हो जाने पर छात्रा स्वयं जिम्मेवार होंगी।
19. महाविद्यालय परिसर में छात्राएँ मोबाईल का प्रयोग न करें।

राष्ट्रीय गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता ।

पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा
द्राविड उत्कल बंग ।

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,

उच्छल जलधि तरंग ।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशीष माँगे;

गाहे तव जय गाथा ।

जन-गण मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥

